श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः–पंजी / 11 / 2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2021/218

प्रार्थी विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र देवकीनन्दन अग्रवाल निवासी एच–9 मॉडल टाउन सैकिण्ड वार्ड नं0 19 श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूलरसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता देवकीनन्दन अग्रवाल पुत्र मातुलाल अग्रवाल निवासी पुरानी आबादी नजदीक ग्रीन पार्क उदाराम चौक श्रीगंगानगर ने दिनांक 26.06.2015 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 14.04.2020 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 26.06.2015 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान केन्डीक्स पुत्र सुरेश बेनीवाल एवं राजकुमार आनंद पुत्र जगदीश कुमार ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री रमेश सिंह अधिवक्ता ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

2612